भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2857

उत्तर देने की तारीख- 08/08/2024

लद्दाख में छठी अनुसूची का कार्यान्वयन

†2857. श्री सप्तगिरि शंकर उलाका

श्री तनुज पुनिया

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों को लद्दाख तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को जनजातीय दर्जा देने में देरी के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) लेह और कारगिल में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों जैसे स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की शक्तियों को बहाल और प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची की विषय-वस्तु तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रशासनिक दायरे में आता है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि:

"जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 (एलएएचडीसी अधिनियम, 1997), समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तरवर्ती लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लागू रहेगा। एलएएचडीसी अधिनियम, 1997 लद्दाख क्षेत्र के जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों की स्थापना का प्रावधान करता है। लेह जिले में 1995 में और कारगिल जिले में 2003 में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें अस्तित्व में आईं। संविधान की छठी अनुसूची के तहत परिकल्पित शक्तियाँ।

इसके अलावा, जैसा कि गृह मंत्रालय ने बताया है कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की शक्तियों को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद भी बरकरार रखा गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में निरंतर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए

पहाड़ी विकास परिषदों, पंचायती राज संस्थाओं और संसद सदस्यों के आवधिक चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं।

एलएएचडीसी अपने संबंधित जिलों में विभिन्न विषयों पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उक्त अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, एलएएचडीसी जिला योजना और विकास बोर्ड के रूप में कार्य कर रहे हैं और लद्दाख के लोगों की मांग और आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के लिए अपनी योजना तैयार करते हैं।

गृह मंत्रालय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए बजटीय अनुदान के माध्यम से एलएएचडीसी को पर्याप्त निधियां प्रदान कर रहा है। इन परिषदों को पूंजीगत व्यय का आवंटन 2019-20 में 183 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि उनके संबंधित जिलों में विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए उनकी निधियों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, अपने निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुँचने और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करने में एलएएचडीसी के पार्षदों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, एलएएचडीसी के पार्षदों को कुछ अतिरिक्त मासिक भत्ते जैसे निर्वाचन क्षेत्र भत्ता @ 40,000/- टेलीफोन/कार्यालय व्यय/विविध शुल्क @10000/- और चिकित्सा भत्ता @ 10000/- भी दिए जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया है:

i. इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और इसके सामरिक (रणनीतिक) महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा हेतु।

ii. लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु।

iii. क्षेत्र में समावेशी विकास और रोजगार सृजन के उपायों पर चर्चा हेतु।

iv. लेह और कारगिल के एलएएचडीसी के रोजगार से संबंधित उपायों पर चर्चा हेतु।

v. ऊपर वर्णित उपायों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए जा सकने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच करने हेतु।

*****